राजस्थान विधानसभा

जनलेखा समिति, वर्ष 2019-20

50वां प्रतिवेदन

(पन्द्रहवीं विधानसभा)

[भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2016-17 के अनुच्छेद संख्या 1.8 में समाविष्ट वित्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सहकारिता विभाग से संबंधित मामलों पर प्रतिवेदन]

(यह प्रतिवेदन सदन में दिनांक .....को उपस्थापित किया गया)

राजस्थान विधानसभा सचिवालय

जयपुर

मूल्य ₹.....

विषय-सूची

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	
2.	प्रतिवेदन अंकेक्षण प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2016-17 का अनुच्छेद संख्या 1.8 वित्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सहकारिता विभाग	
3.	परिशिष्ट-एक (सिफारिशों का सार)	
4.	परिशिष्ट-दो (लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का उत्तर देने का अभाव)	

प्रस्तावना

1. जनलेखा समिति, वर्ष 2019-20 द्वारा प्राधिकृत करने पर मैं, सभापति, जनलेखा समिति, वर्ष 2019-20, समिति का **50वाँ** प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूं।

2. इस प्रतिवेदन का संबंध भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2016-17 के अनुच्छेद संख्या 1.8 में समाविष्ट वित्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सहकारिता विभाग से संबंधित मामलों से है।

3. इस प्रतिवेदन को समिति ने दिनांक 16 जनवरी 2020 को हुई बैठक में विचार-विमर्श कर सर्व सम्मति से अनुमोदित कर सदन में उपस्थापन हेतु अभिस्वीकृत किया।

4. समिति की सिफारिशों का सार प्रतिवेदन के परिशिष्ट-एक में दिया गया है।

5. समिति ने सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2016-17 के अनुच्छेद संख्या 1.8 के संबंध में संबंधित विभागों से प्राप्त उत्तरों का गहनतम अध्ययन किया एवं पाया कि संबंधित विभागों द्वारा लेखा परीक्षा आक्षेपों की समय रहते अनुपालना प्रस्तुत करने में विभागीय अधिकारियों की विफलता के परिणामस्वरूप निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुच्छेदों का निपटारा नहीं हो सका जिसे समिति ने गंभीरता से लेते हुए प्रतिवेदन में सिफारिश की है।

6. समिति प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर और उनके कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिये गये सहयोग के लिए आभार प्रकट करती है।

विधानसभा भवन,
जयपुर।
दिनांक:

(गुलाब चन्द कटारिया)
सभापति
जनलेखा समिति, वर्ष 2019-20

प्रतिवेदन

सीएजी प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2016-17 का अनुच्छेद संख्या 1.8 (पृष्ठ संख्या 11-12)

वित्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सहकारिता विभाग

1.8 लेखापरीक्षा आक्षेपों के उत्तर का अभाव

परिशिष्ट-6 के साथ पठनीय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों का नियम 327(1), विभिन्न लेखा अभिलेखों की प्रतिधारण अवधि जो कि प्रधान महालेखाकार द्वारा लेखापरीक्षा किये जाने के पश्चात् एक से तीन वर्ष के मध्य है, का प्रावधान करता है।

निरीक्षण प्रतिवेदनों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों की अनुपालना प्रस्तुत करने में विभागीय अधिकारियों की विफलता के परिणामस्वरूप निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुच्छेदों का निपटारा नहीं हो सका। 31 मार्च 2017 को वर्ष 1992-93 से 2016-17 की अवधि के दौरान (सितम्बर 2016 तक) जारी 7,310 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 26,096 अनुच्छेद निपटान हेतु लम्बित थे। वर्षवार बकायों की संख्या तालिका 1 में दर्शायी गयी है।

तालिका-1

क्रम संख्या	**वर्ष**	**निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या**	**अनुच्छेदों की संख्या**
1.	2009-10 तक	1,734	4,151
2.	2010-11	767	2,108
3.	2011-12	786	2,432
4.	2012-13	778	2,978
5.	2013-14	1,041	3,841
6.	2014-15	1,015	4,111
7.	2015-16	855	4,242
8.	2016-17 (सितम्बर 2016 तक)	334	2,233
	योग	**7,310**	**26,096**

राज्य सरकार ने सभी विभागीय अधिकारियों को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा अनुच्छेदों के शीघ्र निपटारे हेतु निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना एक माह के अन्दर तथा आगे के लेखापरीक्षा आक्षेपों के उत्तर एक पखवाड़े के अन्दर भेजने के अनुदेश जारी किये थे (अगस्त 1969)। इन अनुदेशों की समय-समय पर पुनरावृत्ति की गई। मार्च 2002 में जारी किये गये अनुदेशों में, लेखापरीक्षा से संबंधित समस्त मामलों

की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रशासनिक विभाग में विभागीय समिति एवं नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करना अभिप्रेत था।

निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये अनुच्छेदों की प्रतिक्रियाओं के लम्बित रहने का अध्ययन करने के लिये उन दो विभागों का विस्तृत विश्लेषण किया गया जिन्हें निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये गये थे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (144 निरीक्षण प्रतिवेदन) तथा सहकारिता विभाग (56 निरीक्षण प्रतिवेदन) की विभिन्न ईकाईयों के निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण में ज्ञात हुआ कि 200 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 1,106 अनुच्छेद 31 मार्च 2017 को बकाया थे। निरीक्षण प्रतिवेदनों में टिप्पणी की गयी अनियमितताओं का श्रेणीवार विवरण (परिशिष्ट दो पृष्ठ संख्या 10) में दिया गया है। आगे यह भी ध्यान में आया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित पाँच निरीक्षण प्रतिवेदनों (फरवरी 2015 से सितम्बर 2016 के मध्य जारी) की प्रथम अनुपालना बकाया थी जबकि उनको निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करने के 30 दिनों के अन्दर अनुपालना प्रेषित की जानी थी।

वित्त (अंकेक्षण अनुभाग) विभाग ने लिखित उत्तर (दिनांक 12.10.2018) में बताया कि अनुच्छेद में उल्लेखित आँकड़े तथ्यात्मक है। यह अनुच्छेद राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के प्रधान महालेखाकार कार्यालय के बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों/अनुच्छेदों के संबंध में है। इस विषय पर वित्त विभाग में प्रस्तावित ड्राफ्ट पैरा प्राप्त होने पर संबंधित विभागों को पत्र क्रमांक प.2(15)वित्त/अंकेक्षण/2017 दिनांक 19.12.2017 द्वारा वांछित कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया था। उक्त प्रस्तावित ड्राफ्ट पैरा का उत्तर वित्त विभाग के पत्र क्रमांक प.2(15)वित्त/अंकेक्षण/2017 दिनांक 08.01.2018 द्वारा प्रधान महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करते हुए स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि निरीक्षण प्रतिवेदनों/अनुच्छेदों का सीधा सम्बन्ध वित्त विभाग से नहीं है वरन् वित्त विभाग सभी विभागों एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय के मध्य समन्वय तथा अंकेक्षण संबंधी मामलों में अनुश्रवण का कार्य करता है। बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों/आक्षेपों से संबंधित रिकार्ड संबंधित विभागों में ही उपलब्ध होता है। अत: इस पर संबंधित विभागों द्वारा ही समुचित उत्तर दिया जा सकता है। बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों/अनुच्छेदों तथा अन्य अंकेक्षण संबंधित मामलों के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा हेतु संबंधित अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार विभाग के विभिन्न आदेशों द्वारा राज्य के कुल 80 विभागों में ऑडिट समितियों का गठन किया जा चुका है, जिनमें प्रधान महालेखाकार कार्यालय के प्रतिनिधि भी पर्यवेक्षक के रूप में भाग

लेते हैं। इन ऑडिट समितियों की वर्ष में चार बैठकें आयोजित किये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2015-16 में ऑडिट समितियों की 105 बैठकें तथा वर्ष 2016-17 में 116 बैठकें आयोजित की गई है। जहाँ तक ऑडिट समितियों की कम बैठकों के आयोजन का प्रश्न है वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर सभी विभागों को निर्धारित संख्या में बैठकें कराने हेतु लिखा जाता रहा है। बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों/अनुच्छेदों के निस्तारण हेतु समय-समय पर शासन के उच्च स्तर से भी संबंधित विभागों को लिखा जाता है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों/अनुच्छेदों की अनुपालना शीघ्रातिशीघ्र प्रधान महालेखाकार कार्यालय को भिजवाने हेतु विभाग को वित्त विभाग के पत्र क्रमांक प.4(3)वित्त/अंकेक्षण/2011 दिनांक 16.06.2016, 30.12.2016, 09.05.2017, 16.11.2017, 11.05.2018 एवं 26.09.2018 द्वारा लिखा गया है।

सहकारिता विभाग से संबंधित बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों/अनुच्छेदों की अनुपालना शीघ्रातिशीघ्र प्रधान महालेखाकार कार्यालय को भिजवाने हेतु विभाग को वित्त विभाग के पत्र क्रमांक प.4(1)वित्त/अंकेक्षण/2018 दिनांक 28.08.2018 द्वारा लिखा गया है।

अंकेक्षण संबंधी मामलों के शीघ्र एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु विभागों में प्रशासनिक एवं विभागाध्यक्ष स्तर पर निर्दिष्ट पद स्तर के नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाने हेतु वित्त विभाग द्वारा समय समय पर समस्त विभागों को लिखा जाता रहा है। अधिकांश विभागों में नोडल अधिकारी नियुक्त किये जा चुके है। इस प्रकार राज्य सरकार प्रधान महालेखाकार कार्यालय के बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों/अनुच्छेदों के निस्तारण हेतु सतत प्रयासरत है। बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों/अनुच्छेदों के निस्तारण की नवीनतम स्थिति तथा की गई कार्यवाही के संबंध में विस्तृत उत्तर संबंधित विभागों द्वारा ही प्रधान महालेखाकार कार्यालय/जनलेखा समिति को प्रेषित किया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रधान महालेखाकार कार्यालय की संवीक्षा टिप्पणी</u>

प्रस्तुत उत्तर के संबंध में लेख है कि प्रस्तुत उत्तर तथ्यात्मक है एवं विभाग द्वारा अनुच्छेद की अनुपालना के संबंध में किये जा रहे प्रयासों से अवगत कराया है। तथापि अनुच्छेद के संबंध में विस्तृत उत्तर/टिप्पणी संबंधित विभागों से अपेक्षित है।

<u>प्रधान महालेखाकार कार्यालय की संवीक्षा टिप्पणी पर वित्त (अंकेक्षण) विभाग की टिप्पणी (दिनांक 15.11.2018)</u>

कोई टिप्पणी नहीं है।

<u>समिति का अभिमत</u>

कोई टिप्पणी नहीं है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने लिखित उत्तर (दिनांक 01.11.2018) में बताया कि सी.ए.जी.प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2016-17 के लिए अनुच्छेद संख्या 1.8 "लेखा परीक्षा आक्षेपों का उत्तर देने का अभाव" के संबंध में विभागीय अनुपालना निम्नानुसार है:-

वर्तमान में 147 प्रतिवेदनों में 934 अनुच्छेदों के स्थान पर 905 अनुच्छेद बकाया हैं जिसमें से 31 प्रतिवेदनों के 233 अनुच्छेद निदेशालय बाल अधिकारिता विभाग, निदेशालय विशेष योग्यजन विभाग तथा अन्य कार्यालयों से संबंधित है। जिन्हें इस विभाग की बकाया सूची से हटाया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार इस विभाग के 116 प्रतिवेदनों में 672 अनुच्छेद ही रहते हैं।

विभाग के अधीनस्थ जिला कार्यालयों में कनिष्ठ लेखाकार के पद लम्बी अवधि से रिक्त रहने के कारण अनुपालना तैयार कर समय पर भिजवाये जाने में कठिनाईयाँ आ रही थी। अब राज्य सरकार द्वारा नव चयनित कनिष्ठ लेखाकारों को विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में पदस्थापित कर दिया है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 की राज्य स्तरीय ऑडिट समिति की दिनांक 29.06.2018 को आयोजित प्रथम त्रैमासिक बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि अधीनस्थ कार्यालयों में प्रधान महालेखाकार कार्यालय के बकाया अंकेक्षणों के शीघ्र निस्तारण हेतु संभाग वार कैम्प आयोजित किये जावें। जिसके क्रम में लेखापरीक्षाधिकारी, जी.एस.एस.–II/S-3 प्रधान महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक डी-388 दिनांक 01.08.2018 द्वारा माह अगस्त 2018 से माह फरवरी 2019 तक संभाग वार सब ऑडिट कमेटी के आयोजन हेतु तिथि प्रस्तावित की गई जिसके क्रम में जयपुर, अजमेर एवं कोटा संभाग के कैम्प आयोजित किये जा चुके हैं।

जिनमें प्राप्त अनुपालना पर प्रधान महालेखाकार कार्यालय से पैरा निस्तारण की सूचना आना अपेक्षित है।

अत: अब विभाग शीघ्र ही सी.ए.जी. अनुच्छेद में वर्णित बकाया आक्षेपों के निस्तारण करवाने हेतु प्रयासरत है। शीघ्र समस्त बकाया आक्षेपों की अनुपालना भिजवा दी जायेगी।

<u>प्रधान महालेखाकार कार्यालय की संवीक्षा टिप्पणी</u>

प्रस्तुत उत्तर तथ्यात्मक है एवं विभाग द्वारा बकाया अनुच्छेदों के शीघ्र निस्तारण हेतु किये जा रहे प्रयासों से अवगत कराया है। तथापि इस कार्यालय के अभिलेखों के अनुसार विभाग से सम्बन्धित समेकित रूप से वर्तमान में 144 निरीक्षण प्रतिवेदनों के 934 अनुच्छेद बकाया चल रहे हैं। अत: निरीक्षण प्रतिवेदन तथा आक्षेपों के शीघ्र निस्तारण हेतु त्वरित प्रयास कर अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना देरी से प्रस्तुत करने के प्रकरणों के सम्बन्ध में टिप्पणी अपेक्षित है।

<u>समिति का अभिमत</u>

<u>समिति सिफारिश करती है कि विभाग बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों के शीघ्र निस्तारण के प्रयास कर एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना समयबद्ध प्रस्तुत करने की व्यवस्था हेतु कार्यवाही कर की गयी कार्यवाही की अद्यतन प्रगति से समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय को अवगत करा देगा।</u>

सहकारिता विभाग ने लिखित उत्तर (दिनांक 01.11.2018) में बताया कि

सीएजी प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) के अनुच्छेद संख्या 1.8 के क्रम में Factual Statement के अन्तर्गत दी गयी सारणी में वर्ष 2003-04 से 2017-18 तक (Up to Sep. 2016) में 56 प्रतिवेदनों में 172 अनुच्छेद एवं ₹ 156723.14 लाख की राशि दर्शायी गयी है।

इस संबंध में निवेदन है कि प्रधान महालेखाकार कार्यालय के बकाया प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेप निरस्त कराने हेतु प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, की अध्यक्षता में ऑडिट कमेटी की बैठक दिनांक 16.02.2017 में दिये गये निर्देशानुसार, दिनांक 03.05.2017, 07.07.2017 एवं 15.01.2018 को समस्त कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। दिनांक 03.05.2017 को आयोजित बैठक के क्रम में 19 आक्षेपों की अनुपालना प्रधान महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित की गयी एवं दिनांक 07.07.2017 को आयोजित बैठक के क्रम में 68 आक्षेपों की अनुपालना प्रधान

महालेखाकार कार्यालय को एवं 22 आक्षेपों की अनुपालना प्रशासनिक विभाग के माध्यम से प्रधान महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित की गयी व 17 आक्षेप निरस्त कराये गये।

प्रधान महालेखाकार कार्यालय के बकाया आक्षेपों के संबंध में यह निवेदन करना उचित होगा कि विभाग के बकाया आक्षेपों में अधिकांश आक्षेप धारा 57, ऋण/ब्याज, अवसायन, प्रक्रिया शुल्क से संबंधित है। धारा 57 से संबंधित बकाया प्रकरणों के निस्तारण के लिये सहकारिता अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया को पूरा करना होता है। जिनमें सुनवाई के दौरान पक्षकारों के अपील में चले जाने के कारण प्रकरण लम्बित रह जाते हैं। इसी प्रकार ऋण/ब्याज प्रक्रिया शुल्क आदि के बकाया वसूली संबंधी आक्षेपों में विविध समितियों से वसूली करनी होती हैं। उन में से कुछ समितियों के अवसायन में आ जाने से उनमें अवसायक नियुक्त किया जाता है। समिति के पास पर्याप्त सम्पत्ति नहीं होने के कारण या स्थाई सम्पत्ति के निस्तारण में होने वाली कठिनाईयों से अवसायन की कार्यवाही पूर्ण होने में विलम्ब होता है। ऐसी स्थिति में आक्षेपित वसूली में से अधिकांशतः राशि की वसूली होने के उपरांत भी आक्षेप निरस्त नहीं हो पाते एवं आक्षेपों में स्वीकृत की गयी राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र के अभाव के कारण आक्षेप निरस्त नहीं हो पाते है। शेष बकाया आक्षेपों की वसूली एवं बकाया राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा सतत् रूप से प्रयास किये जा रहे है।

इस कार्यालय द्वारा प्रधान महालेखाकार कार्यालय निरीक्षण प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों के निस्तारण हेतु वर्ष 2017-18 व 2018-19 में निम्नलिखित ऑडिट कमेटी की बैठक आयोजित की गई है एवं ऑडिट कमेटी द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों की पूर्णत: पालना करने के प्रयास किये जाते रहे हैं।

क्रम संख्या	**वर्ष**	**तिमाही**	**बैठक की दिनांक**
1.	2017-18	प्रथम	23.06.2017
2.		द्वितीय	25.09.2017
3.		तृतीय	30.01.2018
4.		चतुर्थ	21.03.2018
5.	2018-19	प्रथम	22.06.2018
6.		द्वितीय	26.10.2018

57(2) से संबंधित आक्षेपों की अनुपालना त्वरित रूप से कराने हेतु प्रमुख शासन सचिव सहकारिता विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 09.11.2017 एवं 26.03.2018 को जयपुर संभाग, अजमेर, भरतपुर, कोटा, जोधपुर तथा उदयपुर स्थित कार्यालयों के

प्रधान महालेखाकार कार्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदनों के निस्तारण हेतु विडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गयी। इस दौरान 57(2) के प्रकरण से संबंधित समस्त अधिकारियों को सहकारिता अधिनियम धारा 57(1)(2), 74(1)(2) तथा ऑडिट फीस की बकाया राशि, अवसायन से संबंधित वसूली के आक्षेपों में पूर्ण एवं ठोस प्रयास कर पालना भिजवाने हेतु निर्देश दिये जाते रहे हैं।

प्रधान महालेखाकार कार्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदनों के बकाया प्रतिवेदन, बकाया आक्षेपों का वर्षवार विवरण के संबंध में निवेदन है कि इस कार्यालय द्वारा किये गये उपरोक्तानुसार प्रयासों के दौरान वर्ष 2003-04 एवं 2005-06 का 1-1 आक्षेप, 2006-07 व 2007-08 के 4-4 आक्षेप मय 5 निरीक्षण प्रतिवेदन, 2009-10 के 1 आक्षेप, 2010-11 के 2 निरीक्षण प्रतिवेदन 6 आक्षेप, वर्ष 2011-12 के 3 आक्षेप, 2012-13, 2013-14 के 5-5 आक्षेप 2014-15 का 1 आक्षेप, 2015-16 के 7 आक्षेप एवं 2016-17 के 3 आक्षेप इस प्रकार कुल 7 निरीक्षण प्रतिवेदन व 41 आक्षेप जिन में राशि में ₹ 65217.47 लाख के निरस्त कराये गये (परिशिष्ट जिसका समिति ने अवलोकन किया)।

इस प्रकार Factual Statement के आधार पर दर्शाये गये 56 प्रतिवेदनों में से 7 प्रतिवेदनों एवं 172 आक्षेपों में से 41 आक्षेप कुल राशि ₹ 156723.14 लाख में से ₹ 65217.47 लाख के आक्षेप निरस्त कराये जा चुके हैं।

इस वित्त वर्ष में प्रधान महालेखाकार कार्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की अनुपालना व आक्षेप निरस्तारण हेतु इस विभाग के प्रधान कार्यालय स्तर पर प्रथम चरण में समस्त अधीनस्थ कार्यालयों के आक्षेपों के निस्तारण हेतु दिनांक 28.08.2018 एवं 29.08.2018 को आयोजित कैम्प में बुलाकर प्रधान महालेखाकार कार्यालय, राजस्थान, जयपुर के प्रतिनिधियों के समक्ष 36 निरीक्षण प्रतिवेदनों के 78 आक्षेपों की अनुपालना प्रस्तुत की गयी, जिनमें से 11 आक्षेपों के निस्तारण की अभिशंषा प्रधान महालेखाकार कार्यालय के प्रतिनिधि द्वारा की गयी एवं लगभग 10 आक्षेपों की संशोधित अनुपालना पूर्ण प्रमाणक सहित प्रस्तुत करने पर आक्षेप निरस्त करने की सहमति जताई है। उक्त के अतिरिक्त नवीनतम 7 निरीक्षण प्रतिवेदनों में 37 आक्षेपों की प्रथम अनुपालना भी प्रधान महालेखाकार कार्यालय को प्रस्तुत कर दी गयी है। प्रधान महालेखाकार कार्यालय राजस्थान, जयपुर से संवीक्षा टिप्पणी प्राप्त होना शेष है। वर्तमान में किसी भी प्रतिवेदन की प्रथम अनुपालना भिजवाई जानी शेष नहीं है।

अतः प्रधान महालेखाकार कार्यालय के प्रतिवेदनों में बकाया आक्षेपों की त्वरित अनुपालना के लिये वीडियो कॉन्फ्रेसिंग, ऑडिट कमेटी की समय पर बैठक तथा इस

अनुच्छेद में लिये गये आक्षेपों में से आक्षेप निरस्त होने, प्रधान महालेखाकार कार्यालय के आक्षेप निस्तारण हेतु विभाग स्तर पर बैठक तथा प्रधान महालेखाकार के आक्षेप निस्तारण हेतु कैम्प आयोजित करने आदि प्रयासों को मध्यनजर रखते हुए आक्षेप निरस्त फरमावें।

<u>प्रधान महालेखाकार कार्यालय की संवीक्षा टिप्पणी</u>

प्रस्तुत उत्तर तथ्यात्मक है एवं विभाग द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए बकाया अनुच्छेदों के निस्तारण हेतु किये जा रहे प्रयासों से अवगत कराया है। अतः प्रस्तुत उत्तर पर इस कार्यालय की कोई टिप्पणी नहीं है। तथापि शेष निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा आक्षेपों का शीघ्र निस्तारण कर अद्यतन स्थिति से अवगत कराना अपेक्षित है।

<u>समिति का अभिमत</u>

कोई टिप्पणी नहीं है।

विधानसभा भवन,
जयपुर।
दिनांक:

(गुलाब चन्द कटारिया)
सभापति
जनलेखा समिति, वर्ष 2019-20

परिशिष्ट-एक

सिफारिशों का सार

क्रम संख्या	पृष्ठ संख्या	पैरा संख्या	अनुच्छेद संख्या	विवरण
1.			1.8	समिति सिफारिश करती है कि विभाग बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों के शीघ्र निस्तारण के प्रयास कर एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना समयबद्ध प्रस्तुत करने की व्यवस्था हेतु कार्यवाही कर की गयी कार्यवाही की अद्यतन प्रगति से समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय को अवगत करा देगा।

परिशिष्ट दो

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.8; पृष्ठ 2)

लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का उत्तर देने का अभाव

क्रम संख्या	अनियमितता की श्रेणी	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग		सहकारिता	
		अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
1.	कपट/दुर्विनियोजन/गबन/हानियाँ/भंडार एवं नकद की चोरी	01	-	12	468.42
2.	लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाई गई वसूलियाँ	23	388.53	00	-
3.	संविदात्मक बाध्यताओं का उल्लंघन एवं संवेदकों को अनुचित सहायता	03	16.60	00	-
4.	परिहार्य/अधिक व्यय	41	487.54	07	19963.22
5.	निरर्थक/निष्फल व्यय	28	8,725.22	03	5.92
6.	विनियामक प्रकरण	397	35,194.58	71	65003.00
7.	निष्क्रिय निवेश/निष्क्रिय संस्थापना/निधियों का अवरोधन/निधियों का विपथन	113	76,603.87	07	8621.95
8.	उपकरणों की संस्थापना में विलम्ब/निष्क्रिय रहना	27	23,633.59	00	-
9.	उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होना	59	15,832.29	06	20785.23
10.	विविध	242	1,35,291.19	66	41875.40
	योग	**934**	**2,96,173.41**	**172**	**1,56,723.14**